आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					केन्द्रपोषित योजनायें				
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. कृषकों के प्रयासों के सुदृढ़ीकरण जोखिम को कम करके तथा कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देकर कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाना। 2. गुणवत्ता परख कृषि निवेशों की उपलब्धता, भण्डारण, बाजार व्यवस्था आदि का सुदृढ़ीकरण। 3. स्थानीय आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं के अनुसार योजना / कार्यक्रमों का नियोजन, अनुमोदन एवं निष्पादन।	11046.00	–	वर्ष 2020–21 में 41 परियोजनाओं पर कार्य हुआ, जिनमें से 21 परियोजनायें पूर्ण हुयी तथा 20 परियोजनाओं पर कार्य संचालित रहा।	वर्ष 2021–22 में संचालित 20 परियोजनाओं पर कार्य हुआ, जिनमें से 09 परियोजनायें पूर्ण हुयी हैं तथा 11 परियोजनाओं पर कार्य संचालित है।	वर्ष 2021–22 में वर्ष 2020–21 की 11 संचालित परियोजनाओं को पूर्ण किया जायेगा तथा वर्ष 2021–22 हेतु एस0एल0 एस0सी0 द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के सापेक्ष विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं में से नयी परियोजनायें स्वीकृत की जायेंगी।	वर्तमान में संचालित 13 परियोजनाओं के पूर्ण होने तथा योजना के तहत नयी परियोजनाओं पर कार्य सम्पादित होने से उत्पादन में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कृषि का व्यावसायिकरण होगा, जिससे कृषकों को लाभ प्राप्त होगा।	1 वर्ष
					स्वच्छता एक्शन प्लान "नमामि गंगे क्लीन अभियान" प्रथम चरण का कार्य 5 जनपदों के 42 चयनित ग्रामों में पूर्ण हुआ।	स्वच्छता एक्शन प्लान "नमामि गंगे क्लीन अभियान" द्वितीय चरण (वर्ष 2020–21 से 2022–23 तक) का कार्य 7 जनपदों के 1182 चयनित ग्रामों के 50000 है0 क्षेत्रफल में प्रारम्भ किया गया।	स्वच्छता एक्शन प्लान "नमामि गंगे क्लीन अभियान" द्वितीय चरण (वर्ष 2020–21 से 2022–23 तक) का कार्य 7 जनपदों के 1182 चयनित ग्रामों में सम्पादित किया जायेगा।	50,000 है0 में जैविक कृषि कार्यक्रम संचालित होगा, जिससे गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा।	
					सम्बन्धित विभागों द्वारा संचालित परियोजनाओं की प्रगति अपने स्तर से उपलब्ध करायी जाती है। कृषि				

आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं की प्रगति निम्नवत् है :–				
	–तदैव –	4. मूल्य संवर्द्धन माडल को प्रोत्साहन देना, जो कि कृषकों की आय बढ़ाने तथा उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में मददगार हो। 5. कृषि के साथ–साथ अतिरिक्त क्रियाकलापों को प्रोत्साहन। 6. कौशल विकास, नवाचार एवं कृषि उद्यमिता आधारित कृषि व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं को शसक्त बनाना।			1. जैविक खेती अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण क्षेत्रफल–74,943 है0 मास्टर ट्रेनरों का मानदेय– 85 संख्या 2. एकीकृत कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रम– चैक डैम –106 सुरक्षा दीवार – 610 पौधरोपण/पौध रोपण :– 7687 सं0। कुल आच्छादित क्षेत्रफल –1820 है0 3. जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु घेरबाड़– 16030 मीटर लाभान्वित ग्राम–22 आ० क्षेत्रफल–738 है0 4. फसल उत्पादन कार्यक्रम (चावल एवं गेहूँ) फसल प्रदर्शन–1305 है0 बीज वितरण–1914 कुं० सूक्ष्म तत्व, जैव उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन वितरण–2204 है०, जल सवंहन पाईप वितरण –72400 मी०	1.जैविक खेती अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण क्षेत्रफल–74,943 है0 मास्टर ट्रेनरों का मानदेय–95 संख्या 2. एकीकृत कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रम– परियोजना संचालित नहीं। 3. जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु घेरबाड़– 60,000 मीटर लाभान्वित ग्राम–25 आ० क्षेत्रफल–800 है0 4. फसल उत्पादन कार्यक्रम(चावल एवं गेहूँ) फसल प्रदर्शन–1750 है0 बीज वितरण–5040 कुं० सूक्ष्म तत्व, जैव उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन वितरण –14083 है०, जल सवंहन पाईप वितरण – 34500 मी०, प्रशिक्षण–34 संख्या	1. जैविक खेती अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण– क्षेत्रफल–90,000 हैक्टेयर मास्टर ट्रेनरों का मानदेय–95 संख्या – 4. फसल उत्पादन कार्यक्रम (चावल एवं गेहूँ) फसल प्रदर्शन–1850 है0 बीज वितरण–5200 कुं० सूक्ष्म तत्व, जैव उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन वितरण –9522 है०, जल सवंहन पाईप वितरण – 35200 मी०, प्रशिक्षण–34 संख्या	1. जैविक कृषि के क्षेत्रफल एवं जैविक उत्पादन में वृद्धि होगी। पूर्व वर्षो में संचालित कार्यो से भूमि एवं जल संरक्षण कार्य हो रहा है। 4.नवीनतम तकनीकियां प्राप्त होंगी, अनुदान पर उन्नत प्रजाति के बीज एवं कृषि निवेश प्राप्त होंगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी।	1 वर्ष 1 वर्ष – 1 वर्ष

आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	–तदैव –				प्रशिक्षण–20 संख्या 5. हिल सीड बैंक– बीज उत्पादन–2369 कु० 6. जैविक कृषि केन्द्र, टिहरी का निर्माण–1 (प्रगति पर) 7. उत्तराखण्ड में एकीकृत मृदा एवं जल संरक्षण कार्य– बहुउद्देशीय जल संभरण टैंक–28 सं० रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक–36 सं० सिंचाई टैंक–33 सं० चैक डेम–806 सं० घास रोपण–1005 है० उद्यानीकरण–12958 है०	5. हिल सीड बैंक– बीज उत्पादन–4000 कु० 6. जैविक कृषि केन्द्र, टिहरी का निर्माण–1 (पूर्ण) 7. उत्तराखण्ड में एकीकृत मृदा एवं जल संरक्षण कार्य– बहुउद्देशीय जल संभरण टैंक–38 सं० रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक–32 सं० सिंचाई टैंक–28 सं० घास रोपण–1500 है० उद्यानीकरण–14000 है०	5. हिल सीड बैंक– बीज उत्पादन–4500 कु० 6. जैविक कृषि केन्द्र, टिहरी का निर्माण पूर्ण होगा। 7. उत्तराखण्ड में एकीकृत मृदा एवं जल संरक्षण कार्य– बहुउद्देशीय जल संभरण टैंक–50 सं० रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक–40 सं० सिंचाई टैंक–40 सं० घास रोपण–2000 है० उद्यानीकरण–20,000 है०	5. पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्थानीय एवं परम्परागत फसलों के बीजों की उपलब्धता होगी। 6. कृषकों को जैविक कृषि की उन्नत तकनीकियों की जानकारी होगी। 7. नमी, मृदा एवं जल संरक्षण होगा, सिंचन क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर पैदा होगें एवं कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान, गेहूँ, मोटे अनाज, दलहन, पौष्टिक अनाज एवं	क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि। बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि। चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, पौष्टिक अनाज, दलहन एवं तिलहन की कुल उत्पादकता को	2420.00 + 71.37		संचालित कार्यक्रम – 1. क्लस्टर प्रदर्शन है0)– 5805 2. बीज वितरण (कुं0)–9607 3 पौध एवं मृदा प्रबन्धन (है0)–36286 4. यंत्र वितरण (सं0)–731	संचालित कार्यक्रम – 1. प्रदर्शन (है0)– 5501 2. बीज वितरण (कुं0)–4458 3. पौध एवं मृदा प्रबन्धन (है0)–25796 4. यंत्र वितरण (सं0)–296 5. जल सम्वहन पाईप	संचालित कार्यक्रम – 1. प्रदर्शन (है0)– 5493 2. बीज वितरण (कुं0)–7510 3 पौध एवं मृदा प्रबन्धन (है0)–43031 4. जल सम्वहन पाईप वितरण (मी0)–50400 5. कृषक प्रशिक्षण	योजना में चयनित जनपद पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं ऊधमसिंह नगर में चावल, जनपद पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी,अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल एवं ऊधमसिंह	1 वर्ष

आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	तिलहन) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	पुनस्थापित करना, रोजगार सृजन एवं आर्थिकी के स्तर में वृद्धि सुनिश्चित कराते हुये किसानों में विश्वास पैदा करना।			5. जल सम्वहन पाईप वितरण (मी0)–68320 6– कृषक प्रशिक्षण (सं0)–122 7. स्थानीय/अन्य पहल / टैंक/ आटा चक्की (सं0)–95 8. बीज उत्पादन (कुं0)–2058 9 ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग सेन्टर– 5	वितरण (मी0)–45192 6. कृषक प्रशिक्षण (सं0)–62 7 स्थानीय/अन्य पहल/ टैंक (सं0)–64 8 बीज उत्पादन (कुं0)–2503 9 ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग सेन्टर– 1 10.कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु सहायता– 16	(सं0)–46 6. स्थानीय/अन्य पहल/ टैंक (सं0)–20 7. बीज उत्पादन (कुं0)–4446 8. ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग सेन्टर–9	नगर में गेहूँ जनपद चमोली, पौड़ी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ में पौष्टिक अनाज तथा सभी जनपदों में मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन की उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि।	
3	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– पर ड्रॉप मोर क्रॉप (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. प्रक्षेत्र स्तर पर भौतिक रूप से जल के उपयोग को बढ़ाना और खेती योग्य भूमि के सिंचन क्षेत्र में वृद्धि करना। 2. प्रेसिसियन सिचाई एवं जल बचत तकनीकी को अपनाना। 3. भूमि एवं जल संरक्षण, भूमिगत जल का उपयोग वर्षा जल की रोकथाम। 4. जल संभरण प्रबंधन।	5627.00	-	1. जल संग्रहण संरचनायें (सं0)–424 2. चेक डेम–202 3. वर्षा जल संग्रहण संरचनायें–523 4. कच्चे तालाब–611 3. HDPE पाईप मी0–2,70,400 4. जल पम्प(सं0)– 95 5. ट्यूबवेल (सं0)– 226 6. जल संरक्षण का पुर्नउद्धार एवं मरम्मत–40 7. राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण –35	1. जल संग्रहण संरचनायें (सं0)– 376 2. चेक डेम–136 3. HDPE पाईप मी0–79500 4. जल पम्प(सं0)– 60 5. ट्यूबवेल(सं0)– 196 6. जल संरक्षण मरम्मत (सं0)– 13	1. जल संग्रहण संरचनायें (सं0)–700 2. चेक डेम–250 3. HDPE/ LDPE पाईप (मी0)– 2,20,000 4. जल पम्प(सं0)– 150 5. ट्यूबवेल(सं0)– 150 6. जल संरक्षण मरम्मत (सं0)– 50	उपलब्ध एवं वर्षा जल का संचय, भूमिगत जल का सदुपयोग। जल बचत तकनीकों के प्रयोग से सिंचन क्षेत्रफल में वृद्धि करना। उत्पादन एवं कृषकों की आय में वृद्धि।	एक वर्ष

आउटकम बजट 2022-23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)								
4	रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	समुचित मृदा एवं जल संरक्षण तथा प्रबन्धन के सिद्धान्तों को अपनाकर स्थान विशेषित एकीकृत फसल प्रणाली के प्रोत्साहन के द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलते जलवायु परिवेश के अनुसार बनाना।	1000.00	–	अ– एकीकृत कृषि प्रणाली के अन्तर्गत प्रदर्शन– 3214 है0, ब– मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षण:– 1. मौन पालन–691 सं0 2. साइलेज इकाई–18 सं0 3. पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज– 24 सं0 4. जल प्रयोग एवं वितरण– 200 है0 5. वाटर लिफ्टिंग डिवाईस– 02 सं0 6. प्रशिक्षण एवं भ्रमण– 112 सं0 7. ग्रीन हाउस/लो–टनल, पॉली हाउस (वर्ग मी0)–3800	अ– एकीकृत कृषि प्रणाली के अन्तर्गत प्रदर्शन–2093 है0, ब– मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षण:– 1. मौन पालन–246 सं0 2. साइलेज इकाई–12 सं0 3. पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज– 17 सं0 4. जल प्रयोग एवं वितरण– 96 है0 5. वर्मी कम्पोस्ट– 46 सं0 6. प्रशिक्षण एवं भ्रमण– 114 सं0 7. ग्रीन हाउस/ लो–टनल, पॉली हाउस (वर्ग मी0)– 1500	अ– एकीकृत कृषि प्रणाली के अन्तर्गत प्रदर्शन– 3000 है0, ब– मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षण:– 1. मौन पालन– 520 सं0 2. साइलेज इकाई–33सं0 3. पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज– 35 सं0 4. जल प्रयोग एवं पाईप वितरण– 386 है0 5. वाटर लिफ्टिंग डिवाईस– 58 सं0 6. प्रशिक्षण एवं भ्रमण– 146 सं0 7. ग्रीन हाउस/ लो–टनल, पॉली हाउस (वर्ग मी0)–3500	वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल प्रणालियों के विकास से कृषि, उद्यान, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य, पशुधन एवं वृक्ष आधारित कृषि क्षेत्रों से कृषकों की आय में वृद्धि होगी एवं कलस्टर आधारित कृषि को बढ़ावा मिलेगा।	1 वर्ष

आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	मृदा स्वास्थ्य AAP based Component under RKVY (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. राज्य के सभी कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना। 2. मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन। 3. उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना।	800.00	-	योजना के अन्तर्गत 1. चयनित ग्रामों की संख्या– 2609 2. कृषक प्रशिक्षण (सं0)–2609 3. प्रदर्शन– 2609	योजना संचालित नहीं हुयी।	वर्ष 2022–23 में यह योजना RKVY में सम्मिलित की गई है। तथा योजना मृदा स्वास्थ Component uder RKVY के नाम से संचालित की जायेगी। रू0 6.00 करोड़ छः महीने हेतु का एलोकेशन भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है तथा वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना भारत सरकार को प्रेषित की गई है।		एक वर्ष
6	मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. मृदा परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण। 2. मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन।	151.00	-	योजना संचालित नहीं हुयी।	योजना संचालित नहीं हुयी।	योजना संचालित नहीं है।		
7	परम्परागत कृषि विकास योजना (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी०जी०एस० प्रमाणीकरण के अन्तर्गत जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना।	11403.00	-	3900 कलस्टरों के 78000 है0 में योजना संचालित की जा रही है। जिसमें कृषि विभाग, उद्यान विभाग, रेशम विभाग एवं कैप, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद् के माध्यम से सम्पादित किये गये है।	वर्ष 2018–19 से वर्ष 2021–22 तक 3900 परम्परागत जैविक कलस्टरों के 78000 हैक्टेयर में योजना संचालित है, जिसमें परम्परागत फसलें–2555, सब्जी/उद्यानीकरण/फूल–1241, रेशम विकास–59, सगंध पौध के 45 क्लस्टर चयनित है, जिनसे पी0जी0एस0 प्रमाणित उत्पाद प्राप्त हो	भारत सरकार से 6100 नये क्लस्टरों में योजना के संचालन हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है, जिसके अन्तर्गत 122000 है0 क्षेत्रफल को जैविक कृषि से आच्छादित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।	जैविक कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि एवं पी0जी0एस0 उत्पाद प्राप्त होंगे, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	तीन वर्ष

आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	–तदैव–					रहे है। उक्तानुसार चयनित क्षेत्रफल में जैव निवेशों हेतु कृषकों को प्रोत्साहन धनराशि भी उपलब्ध करायी जा रही है एवं कृषक समूहों के माध्यम से मूल्यसंवर्द्धन/ संरचना निर्माण का कार्य किया जा रहा है।	–तदैव–	–तदैव–	
8	नैशनल बैम्बू मिशन (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	बांस की खेती को प्रोत्साहन	0.03	-	योजना वन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।			कृषकों की आय में वृद्धि हेतु।	एक वर्ष
	राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन **(NMAET)**								
9.	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. लघु एवं सीमान्त कृषकों के मध्य कृषि यंत्रीकरण की पहुंच बढ़ाना। 2. कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करना, जिसमें लघु जोत वाले कृषकों को भी कम कीमत में कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें। 3. फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करना जिससे सीमांत और लघु कषकों को भी	7890.00	-	(इकाई संख्या में) 1. कस्टम हायरिंग सेन्टर –44 2. फार्म मशीनरी बैंक–288 3. ट्रैक्टर – 76 4. रोटावेटर –380 5. लेजर लैंड लेवलर –20 6. पावर वीडर – 720 7.थैसर/मल्टी क्रॉप–120 8.पावर टिलर – 62 9. ट्रैक्टर/पावर चलित यन्त्र – 350	(इकाई संख्या में) 1. कस्टम हायरिंग सेन्टर –25 2. फार्म मशीनरी बैंक–300 3. ट्रैक्टर – 150 4. रोटावेटर –320 5. लेजर लैंड लेवलर –35 6. पावर वीडर – 2300 7.थैसर/मल्टी क्रॉप–180 7.पावर टिलर – 19 8. ट्रैक्टर/ पावर चलित	(इकाई संख्या में) 1. कस्टम हायरिंग सेन्टर –45 2. फार्म मशीनरी बैंक–400 3. ट्रैक्टर –200 4. रोटावेटर –390 5. लेजर लैंड लेवलर –50 6. पावर वीडर – 3000 7.पावर टिलर – 40 8. ट्रैक्टर पावर चलित यन्त्र –2015 9. रीपर–95 10.कृषि रक्षा यंत्र–300	लघु, सीमान्त, महिला कृषकों तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ेगी। कृषि में समय एवं श्रम की बचत होगी। कृषि में लगने वाले मानव श्रम एवं पशुओं की समस्या का समाधान होगा। कृषि उन्नत तकनीकों का प्रयोग होगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ लागत में कमी	एक वर्ष

आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		समस्त कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके। 4. सभी प्रकार के कृषि यंत्रों का एक समूह (Hub) तैयार करना। 5. प्रदर्शन, क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों में कृषि यंत्रीकरण के प्रति जागरूकता लाना। 6. प्रदेश में चिन्हित परीक्षण केन्द्रों में यंत्रों की क्षमता एवं प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराना।			10. स्ट्रॅ/क्रॉप/ रीपर–29 11. कृषि रक्षा यंत्र–600 12. चैफ कटर–160 13. ब्रश कटर– 113 14. पशु चालित यंत्र–2000 15. मानव चालित यंत्र–450 16. हॉर्टीकल्चर एवं गार्डन टूल्स–220 16. मिनी राईस/दाल/मिलेट आदि मिल– 446 17. सिंचाई पम्प–10 18. छोटे कृषि यंत्र–30000	यन्त्र –750 9. स्ट्रॅ/क्रॉप/ रीपर–50 10. कृषि रक्षा यंत्र–25 11. चैफ कटर–140 12. ब्रश कटर– 50 13. पशु चालित यंत्र–2500 14. मानव चालित यंत्र–0 15. हॉर्टीकल्चर एवं गार्डन टूल्स–200 16. मिनी राईस/दाल/मिलेट आदि मिल– 100 18. छोटे कृषि यंत्र–7750	11. चैफ कटर–250 12. ब्रश कटर– 100 13. पशु चालित यंत्र–800 14. मानव चालित यंत्र–40200 15. हॉर्टीकल्चर एवं गार्डन टूल्स–500 16. मिनी राईस/दाल/मिलेट आदि मिल– 100 18. सिंचाई पम्प–15 19. छोटे कृषि यंत्र–30000	आएगी। कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	
10	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिग मैटेरियल (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	कृषकों को अपने प्रक्षेत्रो पर ही प्रमाणित बीज तैयार कराने हेतु गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण एवं बुखारी वितरण।	603.39	-	1. लाभान्वित कृषकों की संख्या– 76312 2. आच्छादित क्षेत्रफल है0–26337 3. रबी फसलों (गेहूँ, मसूर, चना, तोरिया, सरसों) का बीज वितरण (कुं0)– 17129 4. खरीफ फसलों (धान, मंडुवा, सोयाबीन, उर्द,	1. लाभान्वित कृषकों की संख्या–77500 2. आच्छादित क्षेत्रफल है0– 26560 3. रबी फसलों (गेहूँ, मसूर, चना, तोरिया, सरसों) का बीज वितरण (कुं0)–17585 4. खरीफ फसलों (धान, मंडुवा, सोयाबीन, उर्द,	1. लाभान्वित कृषकों की संख्या–80000 2. आच्छादित क्षेत्रफल है0–22400 3. रबी फसलों (गेहूँ, मसूर, चना, तोरिया, सरसों) का बीज वितरण (कुं0)–20000 4. खरीफ फसलों (धान, मंडुवा, सोयाबीन, उर्द,	कृषकों को नवीनतम प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध होंगे, जिससे बीज प्रतिस्थापना दर में वृद्धि होगी, फलस्वरूप उत्पादकता बढ़ेगी।	एक वर्ष

आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग। विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					अरहर, मूंग, गहत आदि) का बीज वितरण (कुं0)– 2059	अरहर, मूंग, गहत आदि) का बीज वितरण(कुं0)– 2172	अरहर, मूंग, गहत आदि) का बीज वितरण(कुं0)– 2500		
11	NeGPA (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार (डिजीटल एग्रीकल्चर)	100.52	-	–	परियोजना भारत सरकार से स्वीकृत हो गई है। ई–टेन्डर की कार्यवाही मार्च–2022 में की जायेगी।	सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम् तकनीकी, उपग्रह डाटा/ रिमोट सेंसिंग, जी.आई.एस. तथा मौसम के कारकों के आंकड़ों के उपयोग के आधार पर कृषि विकास को नई दिशा दी जा रही है।	नवीनतम तकनीकी, जी0आई0एस0 उपग्रह डॉटा/रिमोट सेंसिंग तथा आई0ओ0टी0 से प्राप्त डाटा को Real Time Crop Forecasting (RTCF) के अन्तर्गत Econometric models का उपयोग कर फसलों के उत्पादन के पूर्वानुमान/अनुमान लगाया जायेगा।	दो वर्ष
12	सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिर्फाम्स (ATMA) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. फार्मिंग सिस्टम की समस्याओं का निदान कर समग्र उत्पादन एवं आय मे वृद्धि। 2. कृषि एवं कृषकों का सबलीकरण। 3. क्षेत्र विशेष एवं मांग आधारित तकनीकी सेवा का विकास। 4. कृषकों, अनुसंधान	1778.00	-	(इकाई संख्या में) 1. कृषक प्रशिक्षण– 323 2. प्रदर्शन– 7483 3. भ्रमण कार्यक्रम–148 4. कृषक समूहों का गठन– 623 5. किसान मेलों का आयोजन–13 6. कृषक वैज्ञानिक संवाद–14 7. किसान गोष्ठी/ फील्ड–डे– 151	(इकाई संख्या में) 1. कृषक प्रशिक्षण– 99 2. प्रदर्शन– 11452 3. भ्रमण कार्यक्रम–74 4. कृषक समूहों का गठन– 740 5. किसान मेलों का आयोजन–11 6. कृषक वैज्ञानिक संवाद–20 7. किसान गोष्ठी/ फील्ड–डे– 153	(इकाई संख्या में) 1. कृषक प्रशिक्षण–250 2. प्रदर्शन–12000 3. भ्रमण कार्यक्रम– 175 4. कृषक समूहों का गठन – 820 5. किसान मेलों का आयोजन– 13 6. कृषक वैज्ञानिक संवाद– 20 7. किसान गोष्ठी/ फील्ड–डे– 190	कृषकों की दक्षता का विकास, नवीनतम तकनीकियों के प्रचार–प्रसार से उत्पादन एवं कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	–तदैव –	संस्थाओं एवं प्रसार कार्यकर्ताओं को सहभागी उद्देश्यों हेतु कार्य करना। 5. कृषक समूह का गठन। 6. सभी सम्बन्धित विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं एवं कृषक समूहों द्वारा क्रियान्वयन करना तथा अनुसंधान– प्रचार कड़ी को सक्षम बनाना।			8. कृषक पुरूस्कार–424 9. फार्म स्कूल– 274 10. विभिन्न कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागी कृषक–63790 11. परियोजना संचालन हेतु आउटर्सोसिंग से सेवा योजित कार्मिक– बी0टी0एम 95. डी0पी0डी0 13, सहायक लेखाकारं 14, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 14	8. कृषक पुरूस्कार–404 9. फार्म स्कूल– 268 10. विभिन्न कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागी कृषक–45844 11. परियोजना संचालन हेतु आउटर्सोसिंग से सेवा योजित कार्मिक– बी0टी0एम 95. डी0पी0डी0 13, सहायक लेखाकार 14, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 14	8. कृषक पुरूस्कार–460 9. फार्म स्कूल– 276 10. विभिन्न कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागी कृषक –62000 11. परियोजना संचालन हेतु आउटर्सोसिंग से सेवा योजित कार्मिक– बी0टी0एम 95. डी0पी0डी0 13, सहायक लेखाकार 14, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 14		
13	किसानों हेतु फसल बीमा योजना (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) (50:50 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	1. किसी प्राकृतिक आपदा, अन्य जोखिम से संसूचित फसल को होने वाली क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज। 2. खेती में बने रहने के लिए कृषि आय को स्थिर करना। 3. किसानों को प्रगतिशील कृषि तरीकों, उच्च मूल्य	400.01	-	योजना में धान, मंडुवा गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संसूचित है। 1. बीमित कृषकों की संख्या– 0.88 लाख 2. बीमित क्षेत्रफल– 0.21 लाख है0	योजना में धान, मंडुवा गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संसूचित है। 1. बीमित कृषकों की संख्या–0.88 लाख 2. बीमित क्षेत्रफल– 0.21 लाख है0	योजना में धान, मंडुवा, गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संसूचित है। योजना में 1.50 लाख कृषकों को जोड़ने का लक्ष्य है। 1.बीमित कृषकों की संख्या–1.00 लाख 2. बीमित क्षेत्रफल– 0.30 लाख है0	फसलों को प्राकृतिक आपदाओं एवं जोखिम से होने वाले नुकसान की स्थिति में कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त होगा।	एक वर्ष

आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	–तदैव–	आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहन देना। 4. उत्पादन जोखिम से कृषकों की रक्षा करने के अलावा, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह, खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में योगदान करना।			3. बीमित धनराशि–रू0 17568.44 लाख 4. प्रीमियम की धनराशि–रू0 754.73 लाख 5. क्लेम की धनराशि–रू0 239.07 लाख रू0 6. लाभान्वित कृषक–19554	3. बीमित धनराशि–रू0 14117.51 लाख 4.प्रीमियम की धनराशि–रू0 708.19 लाख 5.क्लेम भुगतान खरीफ में– 279.30 लाख। 6.लाभान्वित कृषक खरीफ में– 11898			
	कृषि गणना एवं कृषि साँख्यिकी की एकीकृत योजना (100 प्रतिशत केन्द्रांश)								
14	उत्पादन का अनुमान लगाने की योजना Timely Reporting Scheme (TRS) (100 प्रतिशत केन्द्रांश	बुवाई के उपरान्त खरीफ, रबी एवं जायद की मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन का अनुमान लगाना।	0.13		नियोजित एवं विश्लेषित प्राथमिकता के आधार पर राजस्व ग्रामों की संख्या (पड़ताल हेतु)– खरीफ –1693 रबी –1693 जायद –478 योग – 3864	नियोजित एवं विश्लेषित प्राथमिकता के आधार पर राजस्व ग्रामों की संख्या (पड़ताल हेतु)– खरीफ –1693 रबी – 1693 जायद – 477 योग – 3864	बुवाई के तुरन्त बाद मुख्य फसलों के क्षेत्रफल के अनुमान तैयार करना तथा फसल कटने के पूर्व उत्पादन के अग्रिम अनुमान को तैयार करने हेतु निम्नानुसार प्रयोग नियोजित एवं विश्लेषित प्राथमिकता के आधार पर राजस्व ग्रामों की संख्या (पड़ताल हेतु)– खरीफ – 1693 रबी – 1693 जायद – 477	फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का अनुमान होगा, जिसका अग्रिम आंकलन तैयार कर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार को भेजा जायेगा, जो प्रदेश एवं भारत सरकार को खाद्य नीति निर्धारण करने के लिये आवश्यक है।	एक वर्ष
	फसल	फसल सांख्यिकी संग्रह	0.13	-	राजस्व ग्रामों में प्रतिदर्श	राजस्व ग्रामों में प्रतिदर्श	राजस्व ग्रामों में प्रतिदर्श	कृषि सांख्यिकी के	एक वर्ष

आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	सांख्यिकी सुधार योजना Improvement In Crop Statistics (ICS) (100 प्रतिशत केन्द्रांश	प्रणाली की कमियों का पता लगाना और प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाना।			जांच कार्य निम्नानुसार किये गये :– 1. पड़ताल जांच हेतु ग्रामों की संख्या–540 2. खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–270 ग्राम क्रॉप कटिंग प्रयोगों का तकनीकी निरीक्षण एवं जांच – 3. फसल धान–100प्रयोग 4. फसल मण्डुआ– 80 प्रयोग 5. फसल गेहूँ–120प्रयोग	जांच कार्य निम्नानुसार किये गये :– 1. पड़ताल जांच हेतु ग्रामों की संख्या–540 2. खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–270ग्राम क्रॉप कटिंग प्रयोगों का तकनीकी निरीक्षण एवं जांच – 3. फसल धान–100प्रयोग 4. फसल मण्डुआ– 80 प्रयोग 5. फसल गेहूँ–120प्रयोग	जांच कार्य निम्नानुसार किये जायेंगे :– 1. पड़ताल जांच हेतु ग्रामों की संख्या–540 2. खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–270 ग्राम क्रॉप कटिंग प्रयोगों का तकनीकी निरीक्षण एवं जांच – 3. फसल धान–100 प्रयोग 4. फसल मण्डुआ– 80 प्रयोग 5. फसल गेहूँ–120 प्रयोग	अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं औसत उपज के आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली में कमियों का पता लगाकर तथा उनके सुधार हेतु उपायों को प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार को सुझाना।	
16	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM-Kisan (100 प्रतिशत केन्द्रांश)	1. किसानों को कृषि निवेश और अन्य जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करना। उनकी उभरती जरूरतों को तथा विशेष रूप से फसल कटाई के पश्चात सम्भावित आय प्राप्त होने से पूर्व होने वाले सम्भावित व्ययों की पूर्ति हेतु सहायता। 2. योजना किसानों को साहूकारों के चंगुल में पड़ने से भी बचाएगी और खेती के	-	-	तीन समान किस्तों में प्रत्येक किस्त रू0 2000.00 कुल रू0 6000.00 समस्त किसान परिवारों को प्रतिवर्ष डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना। 1. लाभान्वित कृषक–8.88 लाख 2. कृषकों को भुगतान की गयी धनराशि–1037.01 करोड़	योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार कृषक लाभान्वित हुये :– 1. लाभान्वित कृषक–9.30 लाख 2. कृषकों को भुगतान की गयी धनराशि–544.46 करोड़	योजना के अन्तर्गत पंजीकृत एवं पात्र समस्त कृषक लाभान्वित होंगे।	कृषक खेती के लिये बीज, खाद आदि कृषि निवेशों की समय से व्यवस्था कर पायेंगे, जिससे कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा एवं कृषि में निरन्तरता बनी रहेगी।	01 वर्ष

आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट राजस्व	पूंजीगत	1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		कार्यकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेगी। उनके सम्मानजनक जीवनयापन का मार्ग प्रशस्त करेंगी।							
17	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) (50 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार)	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पी. एम.–के.एम.वाई) के अन्तर्गत सभी 18 से 40 आयु वर्ग के भू–धारक लघु और सीमान्त किसानों पुरूष और स्त्री दोनों के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रूपये की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन की व्यवस्था की गयी है।	-	-	18 से 40 आयु वर्ग के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों को स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना :– 1. अब तक पंजीकृत कृषक–2043	सभी 18 से 40 आयु वर्ग के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों को स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना :– 1. अब तक पंजीकृत कृषक– 2043	पात्र कृषकों को योजना से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा, जिसके लिये पात्र कृषकों के मध्य योजना का प्रचार–प्रसार किया जायेगा।	लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा तथा वह वृद्धावस्था पेंशन पाने के पात्र होंगे।	एक वर्ष
18	कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund)	कृषि अवसंरचना में सुधार हेतु प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती की संपत्ति के लिए व्यावहारिक	-	-	वर्ष 2020–21 से 2029–30 तक कुल 6 वर्षो में एक लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध कराने जाने का प्रविधान है। वर्ष 2020–21 हेतु रू0 31.41 करोड़ के ऋण का लक्ष्य है।	रू0 125.60 करोड़ का ऋण कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है।	रू0 156.99 करोड़ का ऋण कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।	फसलोपरांत उत्पादों को रखने एवं विपणन में सुविधा होगी, जिससे कृषकों को उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा। कृषकों की आय बढ़ेगी।	01 वर्ष

आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट राजस्व	आऊट–ले/ बजट पूंजीगत	1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
		परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम–दीर्घकालिक ऋण वित्त सुविधा।							
19	किसान उत्पादक समूह (FPO)	**1.** किसान उत्पादक संगठनों के गठन द्वारा कृषकों का समग्र विकास करते हुये स्थिर आय पर खेती का विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय का कल्याण एवं सम्पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। **2.** सामूहिक प्रयासों के द्वारा कुशल प्रभावी लागत एवं संसाधनों के टिकाऊ उपयोग द्वारा उत्पादकता बढ़ाना तथा उत्पाद का मार्केट लिंकेज से कृषकों को अच्छा मूल्य प्रदान करना। **3.** किसान उत्पादक संगठनों हेतु निवेशों, उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्द्धन, मार्केट लिंकेज तथा तकनीक के उपयोग हेतु	-	-	योजना प्रारम्भ नहीं थी। –तदैव–	निम्न संस्थाओं द्वारा 57 कृषक उत्पादक समूह का गठन किया जा रहा है। 1. नाबार्ड–22 2. एस0एफ0ए0सी0–14 3. एन0सी0डी0सी0–21 उत्तराखण्ड एफ0पी0ओ0 पौलिसी का निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है। –तदैव–	प्रदेश में कुल 300 कृषक उत्पादक समूह का गठन किया जा जाना है।वर्ष 2022–23 हेतु लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जायेंगे, जिसके अनुसार संस्थायें एफ0पी0ओ0 का गठन करेंगी। –तदैव–	कृषक बाजार के मांग के अनुसार फसलों का उत्पादन करेंगे, जिससे कृषकों को फसलों को बेचने की सुविधा होगी तथा उत्पादों का अधिक मूल्य प्राप्त होगा। कृषकों को नवीन तकनीकी एवं उन्नत गुणवत्तायुक्त खाद, बीज उपकरण आदि प्राप्त होंगे।	एक वर्ष

आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट राजस्व	पूंजीगत	1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		सहायता प्रदान करना। **4.** किसान उत्पादक संगठनों की क्षमता विकास करना							
	केन्द्र–पोषित योजनाओं का योग		**43290.58**	-					
	राज्यपोषित योजनायें–आयोजनागत								
1	कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान	कृषि विभाग के कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान, क्रॉप कटिंग एक्सपेरीमेंट्स पर होने वाले व्यय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय की व्यवस्था करना।	12070.72	-	कृषि विभाग के कार्यरत 1280 अधिकारियों/ कर्मचारियों का वेतन भुगतान, यात्रा भत्ता, चिकित्सा तथा कार्यालय संचालन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये 213 कार्मिकों का भुगतान आदि व्यय। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत निम्नानुसार क्रॉप कटिंग प्रयोग किये गये। खरीफ 5080, रबी/जायद–3702	कृषि विभाग के कार्यरत 1252 अधिकारियों/ कर्मचारियों का वेतन भुगतान, यात्रा भत्ता, चिकित्सा तथा कार्यालय संचालन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये 213 कार्मिकों का भुगतान आदि व्यय। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत निम्नानुसार क्रॉप कटिंग प्रयोग किये गये। खरीफ में 5110, रबी/जायद में लगभग –3705	कृषि विभाग के कुल स्वीकृत पद 2489 अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान, यात्रा भत्ता, चिकित्सा तथा कार्यालय संचालन, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये कार्मिकों का भुगतान आदि व्यय। कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत निम्नानुसार क्रॉप कटिंग प्रयोग प्रायोजित होंगे। खरीफ–5110, रबी/जायद–3705	कृषि से सम्बन्धित कार्य सतत् रूप से सम्पादित किए जायेंगे। खरीफ, रबी एवं जायद की फसलों का क्रॉप कटिंग के आधार पर उत्पादन के आंकड़े भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार को प्रेषित किये जायेगें, जिससे प्रदेश एवं देश के उत्पादन के आंकड़े तैयार होंगें।	एक वर्ष
2	कृषि निवेश भण्डार प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	कृषि विभाग में अवस्थापना सुविधाओं का विकास।	547.31	-	670 न्यायपंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों का किराया एवं कृषि सहायकों को पारिश्रमिक भुगतान किया गया। राजकीय कृषि बीज प्रक्षेत्रों	670 न्याय पंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों का किराया एवं 670 कृषि सहायकों के पारिश्रमिक का भुगतान तथा 4 कृषि प्रक्षेत्रों का	670 न्याय पंचायतों पर स्थित कृषि निवेशों केन्द्रों का किराया एवं 670 कृषि सहायकों के पारिश्रमिक का भुगतान तथा 4 कृषि प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं	कृषकों को समय से गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध होंगे।	एक वर्ष

आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट राजस्व	आऊट–ले / बजट पूंजीगत	1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					का सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन का कार्य किया गया।	सुदृढ़ीकरण एवं बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है।	बीज उत्पादन का कार्य किया जायेगा।		
3	विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय	विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिये रसायनों, ग्लासवेयर्स आदि की व्यवस्था।	66.39	-	13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियन्त्रण, 02 कीटनाशी गुण नियन्त्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0 पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायन, ग्लासवेयर मशीनों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव किया गया। 1. नमूनों का विश्लेषण– उर्वरक – 349 कीटनाशी – 419 बीज – 484	13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियन्त्रण, 02 कीटनाशी गुण नियन्त्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायन, ग्लासवेयर मशीनों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव किया जा रहा है। 1.नमूनों का विश्लेषण – उर्वरक – 248 कीटनाशी – 227 बीज – 475	13 मृदा परीक्षण, 02 उर्वरक गुण नियन्त्रण, 02 कीटनाशी गुण नियन्त्रण, 01 बीज परीक्षण एवं 02 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायन, ग्लासवेयर मशीनों की व्यवस्था एवं उनका रखरखाव किया जायेगा। 1. नमूनों का विश्लेषण– मृदा – 26,090 उर्वरक – 440 कीटनाशी – 440 बीज – 500	कृषकों को गुणवत्तायुक्त एवं मानक के बीज, खाद एवं दवाइयां उपलब्ध होंगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा।	एक वर्ष
4	जल पंप स्प्रिंकलर सेट पाली हाउस विविधीकरण	पर्वतीय क्षेत्र के किसानों को केन्द्र–पोषित योजनाओं में कृषि यंत्रों पर देय अनुदान के समतुल्य 30 एवं 40 प्रतिशत अनुदान राज्य सैक्टर से प्रदान करना ताकि कृषकों को कम मूल्य पर यंत्र उपलब्ध हो सके।	613.00	-	केन्द्रपोषित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन के अन्तर्गत वितरित यन्त्रों पर भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में आपदाग्रस्त जनपदों में 40 प्रतिशत एवं अन्य पर्वतीय जनपदों में 30 प्रतिशत समतुल्य अनुदान की सुविधा दी गयी।	केन्द्रपोषित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन के अन्तर्गत वितरित यन्त्रों पर भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में 30 प्रतिशत समतुल्य अनुदान की सुविधा राज्य सैक्टर से दी जा रही है।	केन्द्रपोषित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन के अन्तर्गत वितरित यन्त्रों पर भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में 30 प्रतिशत समतुल्य अनुदान की सुविधा दी जायेगी।	पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर कृषि यंत्रों का उपयोग कम हो रहा है, वहां उन्नत कृषि यंत्र कृषकों को कम से कम मूल्य पर प्राप्त होंगे, जिससे लघु एवं सीमान्त तथा सुदूर क्षेत्रों तक कृषि यन्त्रों का विस्तार होगा।	एक वर्ष

आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	राज्य किसान आयोग	कृषि क्षेत्र के विकास हेतु नई योजना पर विचार करना	40.50	-	राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय आदि का भुगतान किया गया।	राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय आदि का भुगतान किया जा रहा है।	राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय आदि का भुगतान किया जायेगा।	कृषि क्षेत्र में नयी सम्भावनाओं की तलाश, कृषकों की समस्याओं का समाधान एवं कृषि के सर्वांगीण विकास हेतु सुझाव उपलब्ध होंगे।	एक वर्ष
6	एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना	कृषक स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्वयं सहकारिता के आधार पर क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि कार्यक्रम का संचालन।	1200.00		प्रत्येक विकासखण्ड से एक कलस्टर का चयन किया गया है। कुल 95 कलस्टर चयनित कर कार्ययोजना तैयार की गयी।	चयनित 95 कलस्टरों में कार्ययोजना के अनुसार एकीकृत कृषि कार्यक्रम का संचालन।	चयनित कलस्टरों में कार्ययोजना के अनुसार एकीकृत कृषि कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।	कलस्टर आधारित स्वयं सहकारी कृषि के माध्यम से एकीकृत कृषि कार्यक्रमों से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा कृषकों की आय बढ़ेगी।	एक वर्ष
7	कृषकों की आय दोगुना करना	वर्ष 2022 तक कृषकों की आय में वृद्धि कर उसे दोगुना करना।	100.00		न्याय–पंचायत स्तर पर तैयार माइक्रोप्लान के अनुसार विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से तथा केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं में आयवृद्धिपरक कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुये कृषकों की आय में वृद्धि हेतु कार्य किये गये।	माइक्रोप्लान के अनुसार विभिन्न केन्द्र–पोषित एवं राज्य–पोषित योजनाओं के माध्यम से आय वृद्धि परक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से कृषकों की आय में वृद्धि हेतु कार्य किये जा रहे हैं।	माइक्रोप्लान के अनुसार विभिन्न केन्द्र–पोषित एवं राज्य–पोषित योजनाओं के माध्यम से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर कृषकों की आय में वृद्धि हेतु कार्य किये जायेंगे।	कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	दो वर्ष
8	मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना	योजना का मुख्य उददेश्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र का समग्र विकास करना है ताकि कृषकों को स्थानीय स्तर पर	2000.00		योजना संचालित नहीं थी।	कृषि से सम्बन्धित 11 विभागों यथा–यू0सी0एफ0, कृषि, भेड़ एवं ऊन विकास, लाइव स्टॉक डेवलपमेन्ट	राज्य स्तरीय एस0एल0पी0 एस0सी0 द्वारा चयनित एवं एस0एल0एस0सी0 द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य किया जायेगा।	उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसर एवं कृषि से सम्बन्धित क्षेत्र का विकास, कृषकों की आय में वृद्धि	एक वर्ष

आउटकम बजट 2022-23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट राजस्व	पूंजीगत	1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ–साथ उनकी आय में वृद्धि हो सके। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों का संचालन एवं कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है।				बोर्ड, पशुपालन, जड़ी–बूटी शोध संस्थान, मत्स्य, डेयरी, ए0पी0एम0सी0, रेशम एवं कैप की 16 परियोजनायें स्वीकृत की गयीं, जिनपर कार्य संचालित है।		होगी।	
9	कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण	सर्वेक्षण का उददेश्य खरीफ ऋतु में फसल मण्डुवा, सॉवा, उर्द, गहत, सोयाबिन, भटट, राजमा एवं रबी में फसल मसूर व लाही/सरसों की उत्पादन लागत के विश्वसनीय आंकडे तैयार करना है। योजना का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय भाग के किसानों को उत्तराखण्ड की परम्परागत फसलों का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित	9.25		वर्ष 2020–21 में योजना के अन्तर्गत 210 ग्रामों में कार्य सम्पादित किये गये।	वर्ष 2021–22 में कुल प्रस्तावित 210 गाँव में से 165 गाँव में कार्य कर लिया गया है।	वर्ष 2022–23 में पर्वतीय के साथ–साथ मैदानी जनपदों में भी कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण कराया जायेगा।	उत्पादन लागत के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त होंगे, जिसमें परम्परागत फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित होने से कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		कर उनकी आय में वृद्धि कराना है।							
10	स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम	स्थानीय फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन।	750.00		कोविड 19 महामारी में कृषकों को सहायता पहुँचाने हेतु खरीफ बीजों पर केन्द्र–पोषित योजनाओं में देय सहायता के अतिरिक्त स्टेट सैक्टर से 25 प्रतिशत अनुदान दिया गया, जिससे कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर 3555 कुं0 प्रमाणित बीज वितरित किये गये।	–	स्थानीय फसलों के प्रोत्साहन एवं मार्केटिंग हेतु	कृषकों को सहायता प्राप्त हुयी एवं उत्पादन में वृद्धि।	एक वर्ष
11	जैविक मण्डुवा उत्पादन कार्यक्रम	जैविक मंडुवा के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि	0.01		योजना संचालित नहीं हुयी।				
12	प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज संवर्द्धन प्रक्षेत्र	राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर पर्वतीय क्षेत्रों हेतु उन्नत प्रजातियों के बीज का उत्पादन।	64.95	–	05 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के 34.40 हैक्टेयर में 434.45 कुं0 खरीफ एवं 486.00 कुं0 रबी बीजों का उत्पादन हुआ। कुल 920.00 कुं0 बीज उत्पादन	04 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के 30.30 हैक्टेयर में 336.76 कुं0 खरीफ बीजों का उत्पादन हुआ। रबी में लगभग 550 कुं0 बीज उत्पादन की सम्भावना है। वर्ष में लगभग कुल 886.76 कुं0 बीज उत्पादन सम्भावित है।	04 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर खरीफ एवं रबी में अनुमानित 950 कुं0 बीज उत्पादन का लक्ष्य है।	पर्वतीय क्षेत्रों हेतु संस्तुत फसल प्रजातियों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। गुणवत्ता बीजों के उपयोग से उत्पादकता एवं बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि होगी।	एक वर्ष

आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट राजस्व	पूंजीगत	1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	जैविक उत्पाद परिषद् का सुदृढ़ीकरण	राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना।	200.00	-	जैविक उत्पाद परिषद् के संचालन हेतु स्वीकृत 19 पदों के सापेक्ष कार्यरत 03 कार्मिकों, आउट सोर्सिंग से रखे गये 15 एवं संविदा के माध्यम से रखे गये 59 कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं परिषद् का प्रशासनिक व्यय आदि किया गया।	जैविक उत्पाद परिषद् के संचालन हेतु स्वीकृत 19 पदों के सापेक्ष कार्यरत 03 कार्मिकों, आउट सोर्सिंग से रखे गये 15 एवं संविदा के माध्यम से रखे गये 59 कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं परिषद् का प्रशासनिक व्यय आदि किया जा रहा है।	जैविक उत्पाद परिषद के संचालन हेतु स्वीकृत कार्मिकों एवं आउट सोर्सिंग/संविदा के माध्यम से रखे गये कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं परिषद् का प्रशासनिक व्यय आदि किया जायेगा।	जैविक कृषि को बढ़ावा देना।	एक वर्ष
14	सूचना सलाह केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	राज्य में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियॉ उपलब्ध कराना।	12.37	-	82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत, जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव किया गया।	82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत, जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव किया जा रहा है।	82 सूचना सलाहकार केन्द्रों के लिये विद्युत, जल आदि की व्यवस्था एवं उनका रख–रखाव किया जायेगा।	कृषि से सम्बन्धित योजनाओं एवं तकनीकियों का प्रचार–प्रसार।	एक वर्ष
15	कृषि इन्श्योरेंस सर्वेक्षण	प्रदेश के मैदानी भाग में बीमा योजना को न्यायपंचायत/ न्यायपंचायत समूह से ग्राम पंचायत स्तर पर लागू करना। ग्राम पंचायत पर क्रॉप कटिंग कराना एवं उसके आधार पर फसल बीमा के अन्तर्गत क्षति का मूल्यांकन करना। यह	210.00	-	योजना संचालित नहीं	मैदानी क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर क्रॉप कटिंग प्रयोग किये जायेंगे।	योजना 5 वर्षों के लिये प्रस्तावित है। मैदानी क्षेत्र के साथ–साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भी विस्तारित करते हुए ग्राम स्तर पर खरीफ एवं रबी मौसम में क्रॉप कटिंग करायी जायेगी।	ग्राम पंचायत स्तर पर क्रॉप कटिंग होने से वास्तविक क्षति का आंकलन फसल बीमा के अन्तर्गत होगा। इससे कृषकों को वास्तविक क्षति का भुगतान प्राप्त होगा।	एक वर्ष

आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग। विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा।							
16	खाद्यान्न/ दलहन/ तिलहन बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित	गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	-	1642.50	कृषि विभाग द्वारा योजनान्तर्गत कुल 33616 कुं0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का क्रय कर उसका वितरण किया गया।	कृषि विभाग द्वारा योजनान्तर्गत कुल 39766 कुं0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का क्रय कर वितरण।	कृषि विभाग द्वारा योजनान्तर्गत कुल 40750 कुं0 प्रमाणित एवं आधारीय बीजों का क्रय किया जायेगा।	गुणवत्तायुक्त बीज कृषकों को उपलब्ध कराये जायेंगे, जिससे खाद्यान्न एवं तिलहन के उत्पादन मे वृद्धि होगी तथा बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ेगी।	एक वर्ष
17	कीटनाशक औषधियों की खरीद एवं माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स की लागत	कीटों से फसलों को होने वाले रोगों से बचाव एवं खेती के लिये आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स की आपूर्ति	-	1500.00	कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार कृषि निवेशों का क्रय एवं वितरण किया गया – 1. पौध रक्षा रसायन–408 मै0टन 2. सूक्ष्म पोषक तत्व–1237 मै0टन 3. जैव उर्वरक– 70080 ली0	कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार कृषि निवेशों का क्रय एवं वितरण किया जा रहा हैं – 1. पौध रक्षा रसायन–262 मै0टन 2. सूक्ष्म पोषक तत्व–982 मै0टन 3. जैव उर्वरक–69575 ली0	कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार कृषि निवेशों का क्रय एवं वितरण किया जायेंगा – 1. पौध रक्षा रसायन–670 मै0टन 2. सूक्ष्म पोषक तत्व–1500 मै0टन 3. जैव उर्वरक–80,000 ली0	फसलों पर लगने वाले कीट/रोगों के नियन्त्रण हेतु गुणवत्तापूर्ण कीटरोगनाशक औषधियां, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं जैव उर्वरक कृषकों को आवश्यकता के अनुसार समय से अपने नजदीकी कृषि निवेश केन्द्रों पर उपलब्ध हो पायेंगे।	एक वर्ष
18	विभागीय भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण	विभागीय परिसंपत्तियों का रखरखाव।	-	40.00	विकासखण्डों पर स्थित 14 कृषि निवेश भण्डारों का अनुरक्षण का कार्य किया गया।	गत वर्ष जिन 14 कृषि निवेश भण्डारों का अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया है, उन्हें इस वर्ष के बजट से पूर्ण किया जा रहा है।	विकासखण्ड स्तर पर निर्मित 5 राजकीय बीज भण्डारों/अन्य विभागीय भवनों में अनुरक्षण का कार्य किया जायेगा।	परिसम्पत्तियों की सुरक्षा होगी। भवन निरन्तर उपयोग में आते रहेंगे।	एक वर्ष

आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों मे कृषि विकास कार्यक्रम —तदैव —	चयनित ग्रामों का सूक्ष्म नियोजन करते हुये पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना।	468.70	-	चयनित 55 ग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये गये :– 1. बीज/सब्जी मिनिकिट वितरण– 4281 है0 2. मृदा एवं जल संरक्षण – 252 है0 3. चैक वॉल/रिटेनिंग वॉल/ब्रस्ट वॉल–50 सं0 4. कृषि यंत्र वितरण–5474 सं0 5. बुखारी वितरण–170सं0 6. सिंचाई टेंक/छतवर्षा संरक्षण टैंक– 307 सं0 7. एच0डी0पी0ई0 पाईप– 25500 मी0 8. जल पम्प/स्प्रिंकलर– 22 सं0 9.पौध रक्षा कार्यक्रम–720 है0 10. पॉली हाऊस–13सं0 11. मुर्गीबाड़ा– 41 सं0 12. राजमिस्त्री/ लोहारगिरी/बढ़ईगिरी–35 सं0	चयनित 54 ग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये गये :– 1. बीज/सब्जी मिनिकिट वितरण–5500 है0 2. मृदा एवं जल संरक्षण – 300 है0 3. चैक वॉल/ रिटेनिंग वॉल/ ब्रस्ट वॉल–60 सं0 4. कृषि यंत्र वितरण– 2668 सं0 5. बुखारी वितरण–197सं0 6. सिंचाई टेंक/छतवर्षा संरक्षण टैंक–521 सं0 7. एच0डी0पी0ई0 पाईप– 28185 मी0 8. जल पम्प/स्प्रिंकलर– 14 सं0 9.पौध रक्षा कार्यक्रम– 1295 है0 10. पॉली हाऊस– 13 11. मुर्गीबाड़ा–31 सं0 12. राजमिस्त्री/ लोहारगिरी/बढ़ईगिरी– 64 सं0	चयनित ग्रामों में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेगें :– 1. बीज मिनिकिट वितरण –3500 है0 2. मृदा एवं जल संरक्षण – 500 है0 3. चैक वॉल/ रिटेनिंग वॉल/ ब्रस्ट वॉल–150 सं0 4. कृषि यंत्र वितरण–4000 सं0 5. बुखारी वितरण–100 सं0 6. सिंचाई टेंक/छतवर्षा संरक्षण टैंक– 450 सं0 7. एच0डी0पी0ई0 पाईप– 14000 मी0 8. जल पम्प/स्प्रिंकलर–5 सं0 9.पौध रक्षा कार्यक्रम–500 है0 10. पॉली हाऊस– 20सं0 11. मुर्गीबाड़ा– 2100 सं0 12. राजमिस्त्री/ लोहारगिरी/बढ़ईगिरी– 50 सं0	चयनित अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों मे कृषि विकास होगा, जिससे कृषकों की आर्थिक स्थिति मे सुधार तथा उत्पादकता के स्तर में वृद्धि होगी। —तदैव —	एक वर्ष

आउटकम बजट 2022–23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					13. जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु तारबाड़– 500 मी0 14. कृषि रक्षा रसायन/ सूक्ष्म तत्व वितरण–368 है0	13. कृषि रक्षा रसायन/ सूक्ष्म तत्व वितरण–415 है0	13. उद्यानीकरण–10000सं0 14. जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु तारबाड़–500 मी0 15. कृषि रक्षा रसायन/ सूक्ष्म तत्व वितरण–200है0		
20	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों मे कृषि विकास कार्यक्रम	चयनित ग्रामो का सूक्ष्म नियोजन करते हुये पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना।	159.36	-	चयनित 14 ग्रामों में निम्न कार्यक्रम संचालित किये:– 1. बीज मिनिकिट वितरण – 1207 है0 2. मृदा एवं जल संरक्षण – 370 है0 3. कृषि यंत्र वितरण– 2319 सं0 4. एच0डी0पी0ई0 पाईप– 8000 मी0 5. सिंचाई टेंक/छतवर्षा संरक्षण टैंक– 8 सं0 6. पौध रक्षा कार्यक्रम– 390 सं0 7. उद्यानीकरण– 12 सं0 8. मुर्गीपालन– 5 सं0 9. सिंचाई गूल–250मी0 10. कृषि रक्षा रसायन/	चयनित 12 ग्रामों में निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है :– 1. बीज मिनिकिट वितरण – 1445 है0 2. मृदा एवं जल संरक्षण –202 है0 3. कृषि यंत्र वितरण– 4785 सं0 4. एच0डी0पी0ई0 पाईप– 13500 मी0 5. सिंचाई टेंक/छतवर्षा संरक्षण टैंक– 100 सं0 6. पौध रक्षा कार्यक्रम– 740 सं0 7. उद्यानीकरण–16 सं0 8. मुर्गीपालन– 76 सं0 9. कृषि रक्षा रसायन/ सूक्ष्म तत्व वितरण–75	चयनित ग्रामों में निम्न कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे:– 1. बीज मिनिकिट वितरण – 1400 है0 2. मृदा एवं जल संरक्षण – 950 है0 3. कृषि यंत्र वितरण– 2600सं0 4. एच0डी0पी0ई0 पाईप– 12000 मी0 5. सिंचाई टेंक/छतवर्षा संरक्षण टैंक–120 सं0 6. पौध रक्षा कार्यक्रम – 500 सं0 7 उद्यानीकरण–20 सं0 8. मुर्गी पालन–50 मी0 9. सिंचाई गूल–1000मी0 10. कृषि रक्षा रसायन/	चयनित ग्रामों मे अनुसूचित जनजाति कृषकों की कृषि के प्रति रुची में वृद्धि कृषि क्षेत्र का विकास, कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उत्पादकता में वृद्धि।	एक वर्ष

आउटकम बजट 2022-23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट राजस्व	आऊट–ले/ बजट पूंजीगत	1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	राज्य पोषित बीमा योजना–नया	अधिक से अधिक कृषकों को बीमा योजना में सम्मिलित करने हेतु किसानों को योजना में दिये जाने वाले बीमा प्रीमियम का एक प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में वहन किया जायेगा।	00.00		संचालित नहीं है।	संचालित नहीं है।	संचालित नहीं है।		
22	जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु सोलर/बायो फेसिंग –नया	जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु खेतों में चारों तरफ सोलर/बायों फेन्सिंग की व्यवस्था करना	00.00						
23	सी0एम0किसान सम्मान निधि– नया	प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने हेतु समस्त किसान परिवारों को रू0 2000.00 की धनराशि प्रदान करना	00.00						

आउटकम बजट 2022-23

विभाग का नाम– कृषि विभाग।

विभाग के अन्तर्गत प्रमुख एस0डी0जी0–2 Zero Hunger-(2.3)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		1–4–2021 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2022–23	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2022–23	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	नाबार्ड सहायतित– आर0आई0 डी0एफ0– नया	नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं/ प्रोजैक्टों के संचालन हेतु बजट	1000.00				नाबार्ड द्वारा संचालित योजना आर0आई0डी0एफ0 अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा प्रस्तावित प्रोजैक्टों हेतु वित्त पोषित		
25	कृषक उत्पादक समूह (FPO)	सामूहिक खेती को प्रोत्साहन	0.03				कृषक उत्पादक समूहों को प्रोत्साहन		
	राज्य सैक्टर का योग		**18352.59**	**4090.00**					
	केन्द्र एवं राज्य सैक्टर का योग		**61643.17**	**4090.00**					
	कुल योग		**65733.17**						

सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप- आउटकम बजट, वर्ष 2022-23

विभाग का नाम- कृषि विभाग

क्र. सं.	SDG संकेतक	1-4-2021 की भौतिक स्थिति (भौतिक)	31-3-2022 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) वर्ष 2022-23	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2022-23
1	2	3	4	5	6
	SDG-2 Zero Hunger (2.3)				
1	खाद्यान्न उत्पादकता (क्विंटल प्रति हैक्टेयर)	24.73	24.80	24.86	वर्ष 2020-21 की तुलना में लगभग 0.53 प्रतिशत एवं वर्ष 2021-22 की तुलना में लगभग 0.24 प्रतिशत उत्पादकता में वृद्धि।
	मिलेट उत्पादकता-मंडुवा/सांवां (क्विंटल प्रति हैक्टेयर)	14.66	15.18	15.25	वर्ष 2020-21 की तुलना में लगभग 4.10 प्रतिशत एवं वर्ष 221-22 की तुलना में लगभग 0.48 प्रतिशत उत्पादकता में वृद्धि।
	कृषि के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल (प्रतिशत)	49.73	49.88	50.00	कृषि क्षेत्रफल में निरन्तर कमी हो रही है। वर्ष 2020-21 की तुलना में लगभग 0.15 प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल बढ़ाने का प्रयास।
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी व खरीफ में नोटिफाइड फसलों के अन्तर्गत बीमित कृषक (संख्या लाख में)	0.81	0.88	1.00	योजना में वर्ष 2021-22 की तुलना में लगभग 15.10 प्रतिशत अधिक कृषक बीमित होंगे।
	कुल कृषि क्षेत्रफल में जैविक कृषि का क्षेत्रफल (प्रतिशत में)	32	36	42	वर्ष 2020-21 की तुलना में लगभग 9 प्रतिशत एवं वर्ष 2021-22 की तुलना में 10 प्रतिशत वृद्धि होगी।
	धान, गेहूँ, मोटे अनाज की उत्पादकता (कि0ग्रा0 प्रति हैक्टेयर)	22.75	22.80	22.86	वर्ष 2020-21 की तुलना में लगभग 0.22 प्रतिशत एवं वर्ष 2021-22 की तुलना में 0.48 प्रतिशत वृद्धि होगी।
	लघु व सीमान्त कृषकों की औसत आय (रूपये में)	91,500.00	95,550.00	1,00,300.00	गत वर्षों की तुलना में कृषकों की आय में वृद्धि।